IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
फैक्स : (+91 22) 2218 0411
वेबसाइट : www.idbi.com

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
FAX : (+91 22) 2218 0411
Website : www.idbi.com

अप्रैल १८, २०१८

The Manager (Listing) BSE Ltd., 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051

Dear Sir,

Postal Ballot Notice

In terms of Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we forward herewith a copy of the Postal Ballot Notice being issued to the Members of the Bank for passing special resolutions in connection with (i) Preferential Allotment of equity shares aggregating to ₹ 7881 crore to Government of India and (ii) Increase in Authorised Share Capital to ₹ 8000 crore.

Kindly acknowledge receipt and take the above intimation on record.

भवदीय,
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

18/04/18

[पवन अग्रवाल]
कंपनी सचिव

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
CIN L65190MH2004GOI148838
पंजीकृत कार्यालय – आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005
फोन : (022) 66552779 / 66553062
ईमेल : idbiequity@idbi.co.in,
वेबसाइट–www.idbi.com

डाक मतपत्र सूचना

प्रिय सदस्य(यो),

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसरण में नीचे मद सं. 1 एवं 2 के तहत प्रस्तुत संकल्प को डाक मतपत्र के जरिए विशेष संकल्पों के रूप में पारित करने का प्रस्ताव है :

विशेष कारोबार

मद सं. 1

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 तथा अन्य लागू विधियों, यदि कोई हो, के अनुसरण में तथा अन्य सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन, यदि कोई हों, जैसा कि इस संबंध में अपेक्षित हो, के अधीन और बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों, शर्तों तथा संशोधनों के अधीन, जिन पर बैंक का निदेशक मण्डल सहमत हो, बैंक के शेयरधारकों द्वारा बैंक के निदेशक मंडल को 20 अप्रैल 2018 (सुसंगत तारीख) को परिकलित की जानेवाली दर से भारत सरकार को प्रत्येक 10/- रुपये मूल्य के 7881 करोड़ रुपये (प्रीमियम राशि सहित) की सकल समतुल्य राशि के शेयर अधिमान्य आबंटन के आधार पर प्रस्तावित करने, निर्गमित करने और आबंटित करने तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 के अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार अधिमान्य आबंटन के अंतर्गत निर्गमित उक्त पूंजी को बैंक की वर्तमान समदत्त पूंजी में जोड़ने के लिए सदस्यों की सहमति दी जाए और एतद् द्वारा दी जाती है.''

IDBI BANK LIMITED
CIN L65190MH2004GOI148838
Regd. Office-IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005
Phone-(022) 66552779 / 66553062
e-mail : idbiequity@idbi.co.in,
website-www.idbi.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Dear Member(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the Resolutions appended below under Item No.1 and 2 are proposed to be passed as Special Resolutions by way of Postal Ballot:-

Special Business

Item No.1

To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as Special Resolution :

"RESOLVED THAT, pursuant to section 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the B.R. Act, 1949, Articles of Association of the Bank, SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and other applicable law(s), if any and subject to approval of other statutory/regulatory bodies, if any, as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank, the consent of Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank to offer, issue and allot such number of equity shares of ₹ 10/- each, at a price to be calculated with reference to the Relevant Date of April 20, 2018 to Government of India aggregating to ₹ 7881 crore (inclusive of premium amount) on Preferential Allotment basis, in terms of the provisions of Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the amount of said capital issued under the Preferential Allotment, to be added to the existing paid-up share capital of the Bank."

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कृत्य, कार्य या अन्य चीज़ें, जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित हों या आवश्यक समझी जाएं या उनसे प्रासंगिक हों, करने या करवाने के लिए इस संबंध में अपने प्राधिकार को बैंक के एमडी एवं सीईओ अथवा बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है''.

मद सं. 2

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

''संकल्प किया जाता है कि संस्था अंतर्नियम के नियम 6 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों या अन्य कानूनों, यदि कोई हो के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13, 14 और 61 के अनुसार बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 4500 करोड़ रु. (प्रत्येक 10/- रुपये के 450 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित) से बढ़ाकर 8000 करोड़ रु. (प्रत्येक 10/- रुपये के 800 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित) करने के लिए तथा संस्था ज्ञापन के खंड V और आईडीबीआई बैंक लि. के संस्था अंतर्नियम के नियम 3 में निम्नानुसार परिणामी संशोधन के लिए शेयरधारकों की सहमति दी जाए तथा एतद् द्वारा दी जाती है :

संस्था ज्ञापन का संशोधित खंड V

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 8000,00,00,000 रु. (केवल आठ हजार करोड़ रुपये) होगी जो प्रत्येक 10/- रुपये के 800,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी.

संस्था अंतर्नियम का संशोधित खंड 3

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 8000,00,00,000 रु. (केवल आठ हजार करोड़ रुपये) होगी जो प्रत्येक 10/- रुपये के 800,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी.

बोर्ड के आदेश से
कृते **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

स्थान : मुंबई
दिनांक : 5 अप्रैल 2018

(पवन अग्रवाल)
कंपनी सचिव

टिप्पणियां :

- डाक मतपत्र सूचना में निर्दिष्ट कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं.
- यह सूचना उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके नाम 06 अप्रैल 2018 को सदस्यों के रजिस्टर/राष्ट्रीय प्रतिभूति

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to MD & CEO or any other officer(s) of the Bank, as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

Item No.2

To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as Special Resolution :

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 13, 14 and 61 of the Companies Act, 2013 read with Article 6 of the Articles of Association and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 or other laws, if any, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the increase in the Authorised Share Capital of the Bank from ₹ 4500 crore (divided into 450 crore equity shares of ₹ 10/- each) to ₹ 8000 crore (divided into 800 crore equity shares of ₹ 10/- each) and to the consequential amendments to Clause V of the Memorandum of Association and Article 3 of the Articles of Association of IDBI Bank Ltd. to read as follows :

Amended Clause V of the Memorandum of Association

The authorised share capital of the company shall be ₹ 8000,00,00,000/- (Rupees Eight Thousand Crore Only) divided into 800,00,00,000 equity shares of ₹ 10/- each.

Amended Clause 3 of the Articles of Association

The authorised share capital of the Company shall be ₹ 8000,00,00,000 (Rupees Eight Thousand Crore Only) divided into 800,00,00,000 equity shares of ₹ 10/- each.

By Order of the Board,
For **IDBI Bank Limited**

Place : Mumbai
Dated : April 5, 2018

(Pawan Agrawal)
Company Secretary

NOTES:

- Explanatory Statements pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, in respect of the business specified in the Postal Ballot Notice are annexed hereto.
- The Notice is being sent to all Members, whose names appear on the Register of Members/List

निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल)/सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से प्राप्त लाभार्थी स्वामियों की सूची में उपलब्ध हैं. डाक मतपत्र के साथ नोटिस भेजने का कार्य 21 अप्रैल 2018 को पूरा हो जाएगा.

- जिन सदस्यों ने कंपनी कार्य मंत्रालय की हरित पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल पता रजिस्टर करवाया है, उन्हें ईमेल द्वारा डाक मतपत्र की सूचना भेजी जा रही है और अन्य सदस्यों को डाक मतपत्र फॉर्म के साथ डाक/कूरियर द्वारा सूचना भेजी जा रही है.
- कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 एवं नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसार, डाक मतपत्र सूचना में निर्दिष्ट कारोबार की मदों को डाक मतपत्र द्वारा पारित किया जाना है.
- जो सदस्य अपना मत इलेक्ट्रॉनिक रूप से देना चाहते हैं, उनके लिए बैंक कार्वी की ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है.
- बैंक ने डाक द्वारा मतदान प्रक्रिया को सही एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं., कंपनी सेक्रेटरीज़ की पार्टनर सुश्री अपर्णा गाडगिल/सुश्री मालती कुमार को संवीक्षक नियुक्त किया है.
- **सदस्य वोटिंग के लिए सिर्फ एक तरीके अर्थात् या तो भौतिक मतपत्र द्वारा या ई–वोटिंग का चुनाव कर सकते हैं. यदि सदस्य दोनों तरीकों से मतदान करते हैं तो ई–वोटिंग के जरिए किया गया मतदान प्रभावी होगा तथा भौतिक डाक मतपत्र के जरिए दिया गया वोट अवैध माना जाएगा.**
- भौतिक स्वरूप में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि संलग्न डाक मतपत्र फॉर्म में छपे हुए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें. विधिवत रूप से भरे हुए डाक मतपत्र फॉर्म 21 मई 2018 को शाम 5 बजे तक संवीक्षक के पास पहुँच जाने चाहिए. यदि कोई भी डाक मतपत्र फॉर्म उपर्युक्त समय और तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उसे सदस्य से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, के रूप में माना जाएगा.
- डाक मतपत्र के परिणाम की घोषणा 23 मई 2018 को अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा इसे बैंक की वेबसाइट www.idbi.com पर प्रदर्शित किया जाएगा और साथ ही कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और 22 के अनुसार इसे कार्वी की वेबसाइट https://www.evoting.karvy.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.

of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL)/Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on April 06, 2018. The dispatch of notice alongwith Postal Ballot Form will be completed on April 21, 2018.

- Members who have registered their email ids for receipt of the documents in electronic mode under the Green Initiative of Ministry of Corporate Affairs, are being sent the Notice of Postal Ballot by email and others are being sent by post/courier along with the Postal Ballot Form.
- In terms of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules), the Items of Business set out in the Postal Ballot Notice are sought to be passed by Postal Ballot.
- The Bank is providing Karvy's e-voting facility to enable those Members to vote who wish to cast their votes electronically.
- The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil / Ms. Malati Kumar, Partners of M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.
- **The Members can opt only one mode of voting, i.e., either by physical ballot or e-voting. In case Members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and votes cast through physical postal ballot form will be treated as invalid.**
- Members desiring to exercise vote by physical postal ballot are requested to carefully read the instructions printed on the attached Postal Ballot Form. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 5 p.m. on May 21, 2018. Any Postal Ballot Form received after this time and date will be treated as if the reply from the Member has not been received.
- The result of the Postal Ballot shall be declared by Chairman on or before May 23, 2018 and displayed on the Bank's website at www.idbi.com and shall also be displayed on the website of Karvy at https://evoting.karvy.com in terms of Rule 20 and 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014.

- जिन सदस्यों को ईमेल द्वारा डाक मतपत्र सूचना प्राप्त हुई है और जो भौतिक स्वरूप में डाक मतपत्र फॉर्म के जरिए अपना मतदान करना चाहते हैं वे बैंक की वेबसाइट www.idbi.com या डाक मतपत्र फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबावली वित्तीय जिला, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500032-[टेलीफोन नंबर (040) 67162222, टोल फ्री नंबर 1800-345-4001, फ़ैक्स नंबर (040) 23420814, ई–मेल : einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लि., ईक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005, टेलीफोन नंबर (022-66552779 /3147 /3062) को लिखकर प्राप्त कर सकते हैं.
- संकल्प, यदि आवश्यक बहुमत द्वारा पारित हुआ तो, वह पूर्णत: भरे हुए डाक मतपत्र या ई–वोटिंग के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख अर्थात सोमवार, 21 मई 2018 को पारित हुआ समझा जाएगा.
- ई–वोटिंग की प्रक्रिया एवं पद्धति निम्नानुसार होगी :

[क] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई–वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/फोलियो संख्या कार्वी की ई–वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत नहीं है और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं.

i. ई–मेल खोलें तथा अपनी क्लाईंट आईडी या फोलियो संख्या को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करते हुए पीडीएफ फाइल खोलें अर्थात् 'IDBI Bank Limited e-Voting.pdf' को खोलें. उपर्युक्त पीडीएफ फ़ाइल में ई–वोटिंग के लिए आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया गया है. कृपया नोट करें यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है.

ii. यूआरएल https://evoting.karvy.com/ को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.

iii. Shareholder "Login" पर क्लिक करें.

iv. ऊपर चरण (i) में उल्लिखित अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में डालें. "Login" पर क्लिक करें.

v. 'Password change' मेनु खुलेगा. इस पासवर्ड को अपनी पसंद के न्यूनतम 8 अंकों/अक्षरों या इनसे युक्त नए पासवर्ड से बदलें. कृपया नया पासवर्ड नोट कर लें. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में अत्यंत सावधानी बरतें.

vi. "e-Voting" का होम पृष्ठ खुलेगा. "e-Voting"-Active Voting Cycles पर क्लिक करें.

- Members, who have received the Postal Ballot Notice by email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form from the Bank's website www.idbi.com or by writing to Karvy Computershare Pvt. Ltd., RTA of the Bank, located at Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032 [Tel.No.(040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No.(040) 23420814, E-mail : einward.ris@karvy .com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 22nd Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005, Tel. No.: (022- 66552779 /3147 / 3062).
- The resolutions, if approved by the requisite majority shall be deemed to have been passed on Monday, May 21, 2018, i.e., the last date specified for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-voting.
- The process and manner of e-voting shall be as follows:

[A] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account / folio number has not been registered for e-voting services of Karvy and who do not have their existing user id and password.

i. Open e-mail and open PDF file viz; 'IDBI Bank Limited e-Voting. pdf ' with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password.

ii. Launch internet browser by typing the URL: https://evoting.karvy.com

iii. Click on Shareholder "Login"

iv. Put your user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.

v. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vi. Home page of "e-Voting" opens. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.

vii. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के Electronic Voting Event Number (EVEN) को सेलेक्ट करें.

viii. 'Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं. मतदान की अवधि **रविवार, 22 अप्रैल 2018 को सुबह 9 बजे (भारतीय समय के अनुसार) शुरू होगी और सोमवार, 21 मई 2018 को शाम 5 बजे (भारतीय समय के अनुसार) समाप्त होगी**.

ix. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना मत दें, 'Submit' पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर 'Confirm' पर क्लिक करें.

x. पुष्टिकरण के बाद, "Vote Cast Successfully" संदेश प्रदर्शित होगा.

xi. यदि आपने कारोबार की मद (दों) पर एक बार मत दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

xii. संस्थागत सदस्यों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति evoting@karvy.co.in को भेजें.

[ख] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई–वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या एनएसडीएल की ई–वोटिंग सेवा के लिए पहले से ही पंजीकृत है.

i. यूआरएल https://www.evoting.karvy.com को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.

ii. Shareholder "Login" पर क्लिक करें.
अपनी यूज़र आईडी तथा मौजूदा पासवर्ड डालें (यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हों तो *https://www.evoting.karvy.com* पर जाकर "Forgot User Details/Password" विकल्प का प्रयोग करते हुए आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं).

iii. "Login" पर क्लिक करें.

iv. "e-Voting" का होम पेज प्रदर्शित होगा. e-Voting - Active Voting Cycles पर क्लिक करें.

v. कारोबार की मद (दों) के पक्ष में या विपक्ष में अपना मत डालने के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के "E-Voting Event Number (EVEN)" को सिलेक्ट करें. (कृपया नोट करें कि एक बार मत डालने के बाद उसे संशोधित नहीं किया जा सकता). ईवीईएन के लिए, संकल्प पर वोट किए जाने तक या वोटिंग अवधि की अंतिम तिथि,

vii. Select Electronic Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited.

viii. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences on and from **Sunday, April 22, 2018 (9 a.m. IST) and ends on Monday, May 21, 2018 (5 p.m. IST).**

ix. Cast your vote by selecting appropriate option and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.

x. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

xi. Once you have voted on the item of business, you will not be allowed to modify your vote.

xii. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@karvy.com

[B] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account/folio number has already been registered for e-voting services of Karvy.

i. Launch internet browser by typing URL: https://evoting.karvy.com

ii. Click on Shareholder - Login
Enter your User ID and existing password (*If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on https://evoting.karvy.com)*

iii. Click Login

iv. Home page of "e-Voting" appears. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles

v. Select E-Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited for casting your vote in favour or against the Item of Business. (Kindly note that vote once cast cannot be modified). For an EVEN, you can log-in any number of times on e-voting platform of

अर्थात **21 मई 2018 को शाम 5 बजे (भारतीय समय के अनुसार)**, जो भी पहले हो, की समाप्ति तक आप कार्वी के ई–वोटिंग प्लेटफॉर्म पर कितनी भी बार लॉग–इन कर सकते हैं. मतदान अवधि **रविवार, 22 अप्रैल 2018 को सुबह 9 बजे (भारतीय समय के अनुसार) शुरू होगी और सोमवार, 21 मई 2018 को शाम 5 बजे (भारतीय समय के अनुसार) समाप्त होगी.**

vi. "Cast Vote" के खुलते ही आप "e-Voting" के लिए तैयार हैं.

vii. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना मत दें, **"Submit"** पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर **"Confirm"** पर क्लिक करें.

viii. यदि आपने संकल्प पर एक बार मत दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ix. संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को **scrutinizer@snaco.net** के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति **evoting@karvy.co.in** को भेजें.

कृपया नोट करें कि:

- डाक मत पत्र अथवा ई वोटिंग प्लेटफॉर्म के जरिये मतदान करने वाले सदस्यों के लिए मतों के अधिकार विनिर्दिष्ट तारीख (कट ऑफ डेट) अर्थात शुक्रवार, 06 अप्रैल 2018 की तारीख को बैंक की समादत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगी.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए साइट पर उपलब्ध 'Forgot Password' के विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से 'e-Voting' के लिए किया जा सकता है जिनमें आप सदस्य हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे पूर्णत: गोपनीय रखें.
- सदस्यगण कृपया नोट करें कि ई–वोटिंग सुविधा सोमवार, 21 मई 2018 की शाम 5.00 (भारतीय समय के अनुसार) बजे ब्लॉक कर दी जाएगी.

Karvy till you have voted on the resolution or till the end date of voting period, i.e., up to **5 p.m. (IST) of May 21, 2018**, whichever is earlier. Voting period commences on and from **Sunday, April 22, 2018 (9 a.m. IST) and ends on Monday, May 21, 2018 (5 p.m. IST).**

vi. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens.

vii. Cast your vote by selecting appropriate option and click on **"Submit"** and also **"Confirm"** when prompted.

viii. Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

ix. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at **scrutinizer@snaco.net** with a copy marked to **evoting@karvy.com**

Please note that:

- The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the **cut-off date of Friday, April 06, 2018** for Members voting by Postal Ballot Form or on e-voting platform.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolution placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that the e-voting facility shall be blocked forthwith on Monday, May 21, 2018 at 5 p.m. (IST).

सूचना का अनुबंध

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के निबंधनों के अनुसार विशेष कारोबार की मद सं. 1 के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

भारत सरकार ने आईडीबीआई बैंक को न्यूनतम सीईटी 1 तथा टीयर I पूंजी की अपेक्षाएँ पूरी करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आईडीबीआई बैंक में 10610 करोड़ रूपये की पूंजी लगाने की अपनी योजना के तहत पूर्व में 2729 करोड़ रुपये लगाने के बाद 21 मार्च 2018 के पत्र द्वारा 27 मार्च 2018 को 7881 करोड़ रुपये की शेष शेयर आवेदन राशि लगाई है. इस संबंध में 27 मार्च 2018 को स्टॉक एक्सचेंज में आवश्यक प्रकटन कर दिया गया था. तदनुसार यह प्रस्ताव है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62(1)(सी) के तहत 20 अप्रैल 2018 (सुसंगत तारीख) को परिकलित की जानेवाली कीमत पर भारत सरकार को प्रत्येक 10/- रुपये मूल्य के 7881 करोड़ रुपये (प्रीमियम राशि सहित) की सकल समतुल्य राशि के शेयर अधिमान्य आबंटन के आधार पर प्रस्तावित करने, निर्गमित करने और आबंटित करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाए. सेबी (आईसीडीआर) विनिमय, 2009 के अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों द्वारा संकल्प को पारित करने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर अथवा भारत सरकार और/या अन्य वैधानिक/विनियामक प्राधिकरण से अनुमोदन, यदि कोई हो, के मिलने के 15 दिन के भीतर इनमें से जो भी बाद में हो, शेयरों का अधिमान्य आबंटन पूरा हो जाना चाहिए. इसके अलावा, सेबी (आईसीडीआर) विनिमय 2009 की धारा 73 के अंतर्गत अधिमान्य आबंटन से संबंधित विशेष प्रकटनों का उल्लेख शेयरधारकों को भेजे जा रहे नोटिस के साथ उपाबद्ध व्याख्यात्मक विवरण में किया जाना है जो कि शेयरधारकों की जानकारी के लिए यहाँ नीचे दिए जा रहे हैं :

अधिमान्य निर्गम का उद्देश्य.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की पूंजी पर्याप्तता की गणना करते हुए इसमें वृद्धि करना.
ऑफर में अभिदान करने के लिए प्रवर्तकों, निदेशकों या निर्गमकर्ता के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का प्रस्ताव.	ऑफर में अभिदान करने के लिए निदेशकों या निर्गमकर्ता के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का कोई प्रस्ताव नहीं है. तथापि यह प्रस्ताव है कि भारत सरकार के दिनांक 21 मार्च 2018 के पत्र द्वारा 27 मार्च 2018 को इक्विटी पूंजी के अधिमान्य निर्गम के रूप में शेयर आवेदन राशि लगाए जाने के अनुसार भारत सरकार (मुख्य प्रवर्तक) को उनके पक्ष में कुल

ANNEXURE TO THE NOTICE

1. Explanatory Statement in respect of Special Business under Item No.1 of the Notice in terms of Section 102 of the Companies Act, 2013

The Govt. of India has, on March 27, 2018, infused share application money of ₹ 7881 crore (vide Govt. of India's letter dated March 21, 2018) being the remaining portion of capital infusion of ₹ 10610 crore planned by Govt. of India for IDBI Bank for FY 2017-18 (₹ 2729 crore infused earlier), aimed at meeting the minimum CET 1 and Tier 1 capital requirements of IDBI Bank. Necessary disclosure was made to Stock Exchanges in this regard on March 27, 2018. Accordingly, it is proposed to obtain shareholders' approval under section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to offer, issue and allot such number of equity shares of ₹ 10/- each, at a price to be calculated with reference to the Relevant Date of April 20, 2018, to Government of India aggregating to ₹ 7881 crore (inclusive of premium amount) on Preferential Allotment basis. In terms of the provisions of chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Preferential Allotment of shares is required to be completed within a period of 15 days from the date of passing of resolution by the shareholders or within 15 days of getting approval of GoI and/ or other statutory/ regulatory authority, if any, whichever is later. Moreover, specific disclosures relating to the Preferential Allotment as prescribed under clause 73 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 to be made to the shareholders in the Explanatory Statement annexed to the Shareholders' notice are submitted here-in-below for information of the shareholders:

The objects of the Preferential Issue.	To augment the capital adequacy of the Bank computed in terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.
The proposal of the Promoters, Directors or Key Managerial Personnel of the Issuer to subscribe to the offer.	There is no proposal of the Directors or Key Managerial Personnel of the Issuer to subscribe to the offer. However, it is proposed to issue the shares to Government of India (the Promoter) aggregating to ₹7881 crore (Rupees Seven Thousand Eight Hundred Eighty One Crore only) in terms of Govt. of India's infusion of share application money on March 27, 2018

	7881 करोड़ रुपये (सात हज़ार आठ सौ इक्यासी करोड़ रुपये मात्र) की सकल राशि के अधिमान्य शेयर जारी किए जाएँ.		vide their letter dated March 21, 2018 towards Preferential Issue of equity in their favour.
सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार सुसंगत तारीख व परिकलित कीमत.	सुसंगत तारीख 20 अप्रैल 2018 (अर्थात विशेष संकल्प पारित करने की तारीख 21 मई 2018 से 30 दिन पहले) है. डाक मतपत्र द्वारा विशेष संकल्प पारित किए जाने के तथ्य को देखते हुए कीमत का परिकलन 20 अप्रैल 2018 की सुसंगत तारीख को किया जाएगा तथा शेयरधारकों को इसकी जानकारी समाचार पत्र में विज्ञापन देकर और वेबसाइट पर सूचना प्रदर्शित कर दी जाएगी, जिसे 05 अप्रैल 2018 को डाक मत पत्र सूचना जारी करने के बाद निर्धारित किया जाएगा.	Relevant date and the price computed as per SEBI (ICDR) Regulations, 2009.	The Relevant Date is April 20, 2018 (i.e. 30 days before the date of passing of special resolution on May 21, 2018). In view of the fact that Special Resolution will be passed through Postal Ballot, the price will be calculated with reference to the Relevant Date of April 20, 2018 and will be informed to the Shareholders through Newspaper Advertisement and by displaying on website as the same will be determined after the issue of Postal Ballot Notice on April 05, 2018.
अधिमान्य निर्गम से पहले और बाद में निर्गमकर्ता की शेयरधारिता का स्वरूप.	**अधिमान्य निर्गम से पहले आईडीबीआई बैंक लि. की शेयरधारिता का स्वरूप (31 मार्च 2018 को) :** शेयरों की सं. / प्रतिशत प्रवर्तक (भारत सरकार) 2496838686 80.96 अन्य 587024010 19.04 कुल **3083862696** **100.00** **अधिमान्य निर्गम के बाद आईडीबीआई बैंक लि. की शेयरधारिता का स्वरूप :** अधिमान्य निर्गम के बाद आईडीबीआई बैंक लि. की शेयरधारिता का स्वरूप का निर्धारण 20 अप्रैल 2018 की सुसंगत तारीख को शेयर मूल्य के परिकलन के बाद किया जाएगा तथा शेयरधारकों को इसकी सूचना समाचार पत्र में विज्ञापन देकर तथा वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी, क्योंकि इसका निर्धारण 05 अप्रैल 2018 को डाक मत पत्र सूचना जारी करने के बाद किया जाएगा.	The shareholding pattern of the Issuer before and after the Preferential Issue.	**Pre Preferential Issue Shareholding Pattern of IDBI Bank Ltd. (as on March 31, 2018):** No. of Shares / % age Promoters (GoI) 2496838686 80.96 Others 587024010 19.04 **Total** **3083862696** **100.00** **Post Preferential Issue Shareholding Pattern of IDBI Bank Ltd.** The Post Preferential Issue Shareholding Pattern of IDBI Bank Ltd. will be determined after calculation of price with reference to the Relevant Date of April 20, 2018 and will be informed to the Shareholders through Newspaper Advertisement and by displaying on the website as the same will be determined after issue of Postal Ballot Notice on April 05, 2018.
समय–सीमा जिसके भीतर अधिमान्य निर्गम का कार्य पूरा कर लिया जाएगा.	अधिमान्य निर्गम का कार्य विशेष संकल्प पारित होने से 15 दिन के भीतर अर्थात् 21 मई 2018 से 15 दिन के भीतर अथवा अधिमान्य निर्गम के संबंध में भारत सरकार तथा/ किसी अन्य सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरण से अनुमोदन, यदि कोई हो, के प्राप्त होने से 15 दिन के भीतर, जो भी बाद में हो, पूरा कर लिया जाएगा.	The time within which the Preferential Issue shall be completed.	The Preferential Allotment shall be completed within 15 days from the date of passing of Special Resolution, i.e., within 15 days from May 21, 2018 or within 15 days of the receipt of approval, if any, from GoI and/ or any other statutory/ regulatory authority in respect of Preferential Issue of Equity, whichever is later.

प्रस्तावित आंबटितियों की पहचान, उनके द्वारा धारित की जाने वाली निर्गम पश्चात अधिमान्य धारिता का प्रतिशत और अधिमान्य निर्गम के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता के नियंत्रण में बदलाव, यदि कोई हो.	ये शेयर भारत सरकार, प्रवर्तक को आबंटित करने का प्रस्ताव है. अधिमान्य निर्गम के बाद नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि भारत सरकार बैंक की प्रवर्तक बनी रहेगी.
इस आशय का वचन कि इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार जहां भी जरूरी होगा, निर्गमकर्ता विशिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्य की पुनर्गणना करेगा.	लागू नहीं, क्योंकि बैंक के शेयर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में छब्बीस सप्ताह से अधिक समय से सूचीबद्ध हैं.
इस आशय का वचन कि यदि मूल्य की पुनर्गणना के आधार पर राशि का भुगतान इन विनियमों में निर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो विशिष्ट प्रतिभूतियों को आबंटितियों द्वारा इनकी राशि का भुगतान करने तक लॉक्ड–इन रखा जाएगा.	लागू नहीं, क्योंकि बैंक के शेयर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में छब्बीस सप्ताह से अधिक समय से सूचीबद्ध हैं.
सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रमाण पत्र की एक प्रति शेयरधारकों की महासभा में रखना जिसमें यह प्रमाणित करने पर विचार किया जाएगा कि प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम इन विनियमों में की गई अपेक्षाओं के अनुसार किया जा रहा है	अधिमान्य निर्गम के लिए कीमत की गणना सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 की धारा 76(1) के तहत सुसंगत तारीख 20 अप्रैल 2018 के अनुसार की जाएगी (डाक मतपत्र के अंतर्गत मतदान पूरा होने से 30 दिन पहले अर्थात् 21 मई 2018, जो कि विशेष संकल्प पारित किए जाने की तारीख भी मानी गई है). उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 की धारा 73(2) के अंतर्गत अपेक्षित लेखा–परीक्षक का प्रमाणपत्र सुसंगत तारीख 20 अप्रैल 2018 के बाद जारी किया जाएगा तथा यह डाक मतपत्र के तहत वोटिंग की प्रक्रिया पूरी करने की तारीख तक किसी भी कार्यदिवस का सुबह 11.00 बजे और 3.00 बजे के बीच बैंक के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा. लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र बैंक की वेबसाइट **www.idbi.com** और कार्वी की वेबसाइट - **https://evoting.karvy.com** पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.

The identity of the proposed allottees, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the Issuer consequent to the preferential issue.	The shares are proposed to be allotted to Government of India, the Promoter. Consequent to the Preferential issue, there will not be any change in control as Govt. of India will continue to be the Promoter of IDBI Bank.
An undertaking that the Issuer shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provisions of these regulations where it is required to do so.	Not Applicable, as the shares of the Bank have been listed on a recognized stock exchange for more than twenty six weeks.
An undertaking that if the amount payable on account of the re-computation of the price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked in till the time such amount is paid by the allottees.	Not Applicable, as the shares of the Bank have been listed on a recognized stock exchange for more than twenty six weeks.
To place a copy of the certificate of statutory auditors before the general meeting of the shareholders, considering the proposed preferential issue certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations.	The price for Preferential Issue will be computed under clause 76(1) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 with reference to the Relevant Date of April 20, 2018 (30 days prior to the date of completion of voting under Postal Ballot, i.e., May 21, 2018 also deemed to be the date of passing the Special Resolution) In view of the above, Auditors' Certificate required under clause 73(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 will be issued after the Relevant Date of April 20, 2018 and will be made available for inspection at the Registered Office of the Bank between 11 a.m. and 3 p.m. on any working day upto the date of completion of voting under Postal Ballot. The Auditor's Certificate will also be displayed on the website of the Bank – **www.idbi.com** and website of Karvy - **https://evoting.karvy.com**

निर्गम की राशि.	उक्त इक्विटी शेयर भारत सरकार से 27 मार्च 2018 को प्राप्त 7881 करोड़ रुपये की नकद राशि पर जारी किये जाएंगे.

निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके उपर्युक्त प्रयोजन के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की अपेक्षा की जाती है.

बैंक का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी बैंक में अपनी शेयरधारिता, यदि कोई है, की सीमा के सिवाय उपर्युक्त संकल्प को पारित करने में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, वित्तीय या अन्य रूप में, संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं.

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के निबंधनों के अनुसार सूचना की मद सं. 2 के अंतर्गत विशेष कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

संकल्प का उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13, 14 और 61 तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के साथ पठित संस्था अंतर्नियम के नियम 6 के अनुसार बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 4500 करोड़ रु. से 8000 करोड़ रु. (प्रत्येक 10 रुपये के 800 इक्विटी शेयरों में विभाजित) तक बढ़ाने के लिए तथा भविष्य में बैंक की चुकता पूंजी बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर के प्रयोजन से सूचना की मद सं. 2 के अंतर्गत प्रस्तावित विशेष संकल्प में किए गए उल्लेख के अनुसार संस्था ज्ञापन के खंड V और संस्था अंतर्नियम के खंड 3 में परिणामी संशोधन के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करना है.

बैंक का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी बैंक में अपनी शेयरधारिता, यदि कोई है, की सीमा के सिवाय उपर्युक्त संकल्प को पारित करने में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, वित्तीय या अन्य रूप में, संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं.

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई – 400 005.

बोर्ड के आदेश से
कृते **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

(पवन अग्रवाल)
कंपनी सचिव

दिनांक : 05 अप्रैल 2018

Consideration for the Issue.	The equity shares will be issued against the consideration of ₹ 7881 crore in cash received from Government of India on March 27, 2018.

The shareholders' approval is sought by Board of Directors for the above purpose by passing a Special Resolution in this regard.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of aforesaid Special Resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

2. Explanatory Statement in respect of the Special Business under Item No.2 <u>of the Notice in terms of Section 102 of the Companies Act, 2013</u>

The Resolution aims at according shareholders' approval to the increase in Authorised Share Capital of the Bank from ₹ 4500 crore to ₹ 8000 crore (divided into 800 crore equity shares of ₹ 10/- each) in terms of Article 6 of the Articles of Association read with Sections 13, 14 and 61 of the Companies Act, 2013 and Rules made therein and to the consequential amendment in Clause V of the Memorandum of Association and Clause 3 of the Articles of Association of the Bank as indicated in the proposed Special Resolution contained under Item No.2 of the Notice, in order to give sufficient room for increase in the paid-up share capital of the Bank in future.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of aforesaid Special Resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.

By Order of the Board
For **IDBI Bank Limited**

(Pawan Agrawal)
Company Secretary

Dated: April 05, 2018

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
IDBI BANK LIMITED

सीआईएन/CIN L65190MH2004GOI148838
पंजीकृत कार्यालयः आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई – 400 005.
फोन–(022) 66552779 / 66553062 , ईमेल – **idbiequity@idbi.co.in**, वेबसाइट–**www.idbi.com**
Regd. Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.
Phone-(022) 66552779/66553062, e-mail: idbiequity@idbi.co.in, website: www.idbi.com

डाक मतपत्र फॉर्म
POSTAL BALLOT FORM

क्रमांक / Sr. No.:

1. एकल/प्रथम शेयरधारक का नाम एवं पता
 Name & Address of Sole / First Shareholder

2. संयुक्त शेयरधारक(कों), यदि कोई हों, का/के नाम
 Name(s) of Joint Shareholder(s), if any

3. पंजीकृत फोलियो सं./ डीपी आईडी -ग्राहक आईडी सं.
 Registered Folio No./DP ID-Client ID No.

4. धारित शेयरों की संख्या
 Number of Shares held

मैं/हम, एतद्द्वारा बैंक के 05 अप्रैल 2018 की डाक मतपत्र सूचना में उल्लिखित कारोबार हेतु डाक मतपत्र के माध्यम से पारित किए जानेवाले विशेष संकल्प के संबंध में नीचे दिए गए उपयुक्त खाने में टिक (✓) चिह्न लगाकर उक्त संकल्प से मेरी/हमारी सहमति या असहमति व्यक्त करते हुए, मेरे/हमारे मताधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ/रहे हैं :
I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Special Resolution to be passed through Postal Ballot for the business stated in the Postal Ballot Notice dated April 05, 2018 of the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolution by placing the tick (✓) mark at the appropriate box below.

मद सं. Item No.	विवरण Description	शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held by Shareholder	मैं/हम इस संकल्प से सहमत हूँ/हैं (पक्ष में) I/We assent to the Resolution (For)	मैं/हम इस संकल्प से असहमत हूँ/हैं (विरोध में) I/We dissent to the Resolution (Against)
1.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 (1) (सी) के तहत भारत सरकार को 7881 करोड़ रुपये की सकल राशि के इक्विटी शेयर अधिमान्य आबंटन आधार पर प्रस्तावित करने, जारी करने व आबंटित करने का संकल्प Resolution u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to offer, issue and allot equity shares aggregating to ₹ 7881 crore to Govt. of India on Preferential Allotment basis.			
2.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13, 14 एवं 61 के अंतर्गत बैंक की प्रधिकृत पूंजी 4500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8000 करोड़ रुपये करने का संकल्प Resolution u/s 13, 14 and 61 of the Companies Act, 2013 for increasing Authorised Share Capital of the Bank from ₹ 4500 crore to ₹ 8000 crore.			

स्थान :
Place:
दिनांक :
Date :

(शेयरधारक के हस्ताक्षर)
(Signature of Shareholder)

इलेक्ट्रॉनिक मतदान विवरण
ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

ईवीईएन (ई वोटिंग इवेंट नंबर) EVEN (E Voting Event Number)	प्रयोक्ता आईडी USER ID	पासवर्ड / पिन PASSWORD / PIN

टिप्पणी : कृपया फॉर्म भरने से पूर्व इसके दूसरे पृष्ठ पर छपे अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें. संवीक्षक को डाक मतपत्र फॉर्म प्राप्त होने की अंतिम तारीख सोमवार, 21 मई 2018 शाम 5.00 बजे तक है.

NOTE: Kindly read the instructions printed overleaf before filling the form. Last date for receipt of Postal Ballot Forms by Scrutinizer is Monday, May 21, 2018 upto 5 p.m.

अनुदेश

INSTRUCTIONS

1. डाक मतपत्र के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक शेयरधारक इस डाक मतपत्र फॉर्म को भरें और हस्ताक्षर करें तथा स्व–पता लिखे डाक व्यय पूर्वदत्त संलग्न लिफाफे में रखकर संवीक्षक को भेज दें. डाक खर्च बैंक उठाएगा और उसका भुगतान करेगा. यदि ऐसे मतपत्र वाले लिफाफे व्यक्तिगत रूप में जमा किए जाते हैं अथवा सदस्यों के खर्च पर कूरियर से भेजे जाते हैं तो वे भी स्वीकार किए जाएंगे.

 A Shareholder desiring to exercise his/her vote by Postal Ballot should complete this Postal Ballot form, sign and send it to the Scrutinizer in the attached self-addressed postage pre paid envelope. Postage will be borne and paid by the Bank. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expenses of the shareholders will also be accepted.
2. विकल्प के रूप में कोई सदस्य डाक मत पत्र सूचना में ई वोटिंग के लिए जारी निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान कर सकता है.

 Alternatively, a Member may vote through electronic mode as per the instructions for e-voting provided in the Postal Ballot Notice
3. पता लिखे लिफाफे पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए गए संवीक्षक का पता और डाक मतपत्र भेजने का पता अंकित है.

 The self-addressed envelope bears the address of the Scrutinizer appointed by the Board of Directors of the Bank and the address at which the Postal Ballot Form is to be sent.
4. डाक मतपत्र फॉर्म शेयरधारकों द्वारा पूर्ण रूप से भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए. संयुक्त शेयरधारिता के मामले में, यह फॉर्म प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा (बैंक के पास पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप) हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए और यदि वे अनुपस्थित हों तो अगले नामित शेयरधारक(कों) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए. बिना हस्ताक्षर वाले डाक मतपत्र फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

 The Postal Ballot form should be completed and signed by the Shareholders. In the case of joint shareholding, this form should be completed and signed (as per the specimen signature registered with the Bank) by the first named shareholder and in his absence, by the next named shareholder(s). Unsigned Postal Ballot forms will be rejected.
5. जहां डाक मतपत्र फॉर्म किसी निगमित निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हैं वहां डाक मतपत्र फॉर्म के साथ वोट करने के लिए संबंधित प्राधिकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए. सदस्य इस उद्देश्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त अटर्नी द्वारा भी फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकते हैं. ऐसे मामले में डाक मतपत्र फॉर्म के साथ मुख्तारनामे की अनुप्रमाणित सत्य प्रति संलग्न होनी चाहिए.

 Where the Postal Ballot Form has been signed by an Authorized Representative of a body corporate, a certified copy of the relevant authorizations to vote on the Postal Ballot should accompany the Postal Ballot Form. A member may sign the Form through an Attorney appointed specifically for this purpose, in which case an attested true copy of the Power of Attorney should be attached to the Postal Ballot Form.
6. डाक मत पत्र द्वारा मतदान के अधिकार का उपयोग प्रॉक्सी द्वारा नहीं किया जा सकेगा.

 The right of voting by Postal Ballot shall not be exercised by a Proxy.
7. विधिवत भरे हुए डाक मतपत्र फॉर्म 21 मई 2018 की शाम 5.00 बजे तक संवीक्षक के पास पहुंच जाने चाहिए. इस समय और तारीख के बाद प्राप्त डाक मतपत्र फॉर्म के बारे में यह माना जाएगा कि शेयरधारक से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है.

 Duly completed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than 5 p.m. on May 21, 2018. Any Postal Ballot Form received after this time and date will be treated as if the reply from the Shareholder has not been received.
8. यदि आवश्यक हो तो सदस्य डुप्लीकेट डाक मतपत्र फॉर्म के लिए अनुरोध कर सकते हैं. तथापि, पूर्ण रूप से भरा हुआ डुप्लीकेट डाक मतपत्र फॉर्म ऊपर मद सं. 7 में निर्दिष्ट समय और तारीख तक संवीक्षक के पास पहुंच जाना चाहिए.

 A shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the time and date specified at Item No.7 above.
9. मताधिकार की गणना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अधीन शुक्रवार 06, अप्रैल 2018 को शेयरधारक के नाम से पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य के आधार पर की जाएगी जो कि इस प्रयोजन हेतु कट–ऑफ तारीख के रूप में तय की गई है.

 Voting rights will be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the Shareholder on Friday, April 06, 2018, which is the cut-off date fixed for this purpose, subject to the provisions of the Banking Regulation Act, 1949.
10. शेयरधारकों से अनुरोध है कि स्व–पता लिखे डाक व्यय पूर्वदत्त संलग्न लिफाफे में डाक मतपत्र फॉर्म के साथ अन्य कोई कागजात न भेजें, क्योंकि इस तरह के सभी लिफाफे संवीक्षक के पास भेज दिए जाएंगे और ऐसे लिफाफे में रखा गया कोई अन्य कागजात संवीक्षक द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा.

 Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope in as much as all such envelopes will be sent to the Scrutinizer and any extra paper found in such envelope would be destroyed by the Scrutinizer.
11. प्रत्येक फोलियो के लिए केवल एक ही डाक मतपत्र फॉर्म होगा चाहे संयुक्त शेयरधारकों की संख्या कितनी भी हो.

 There will be only one Postal Ballot Form for every folio irrespective of the number of joint Shareholder(s).
12. सदस्य को सभी वोटों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसे सभी वोट एक की तरीके से देने की आवश्यकता है.

 A Shareholder need not use all the votes nor does he need to cast all the votes in the same way.
13. डाक मतपत्र की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.

 The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot will be final and binding.
14. अपूर्ण, अहस्ताक्षरित या अशुद्ध डाक मतपत्र फॉर्म अस्वीकार कर दिए जाएंगे.

 Incomplete, unsigned or incorrect Postal Ballot Forms will be rejected.
15. यदि संकल्प बहुमत से अनुमोदित हुआ, तो इसे 21 फरवरी 2018 को पारित हुआ समझा जाएगा, जोकि पूर्णतः भरे हुए डाक मत पत्र प्राप्त करने या ई–वोटिंग की अंतिम तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट की गई है.

 The Resolution, if approved by requisite majority, shall be deemed to have been passed on May 21, 2018, i.e., the last date specified for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-voting.
16. डाक मतपत्र के परिणाम की घोषणा 23 मई 2018 या उससे पहले चेअरमन द्वारा की जाएगी तथा इसे बैंक की वेबसाइट **www.idbi.com** पर प्रदर्शित किया जाएगा और साथ ही इसे स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करने के अलावा आर एवं टी एजेंट कार्वी की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.

 The result of Postal Ballot shall be declared by the Chairman on or before May 23, 2018 and displayed on the Bank's website **www.idbi.com** and website of R&T Agent **https://evoting.karvy.com** besides being communicated to the Stock Exchanges.